न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
117 ए/2022	01.08.2022	05.12.2023

पीठासीन अधिकारी–विजेन्द्र कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

चम्बल फर्टीलाइजर एण्ड केमीकल लिमिटेड़, गढेपान तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान जरिये विशाल माथुर (असिस्टेन्ट वाइस प्रेसिडेन्ट)मानव संसाधन एवं प्रशासन एवं अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

(वादी)

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से – तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी की ओर से निम्न आधारो पर यह वाद पत्र पेश किया है कि:–

1. संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी कम्पनी खाद निर्माण व विभिन्न प्रकार की खाद तथा कृषि उत्पाद का व्यवसाय करती है। जिसकी फेक्टरी ग्राम गढेपान में स्थित है। उक्त वादी कम्पनी की ओर से विशाल माथुर मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग, को परिवादी की कम्पनी की ओर से प्रशासनिक समस्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नियुक्त किया हुआ है जिनको प्रकरण के समस्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी है।
2. यह कि राजस्थान राजपत्र अधिसूचना जयपुर दिनांक 15.11.1989 से भूमि अर्जन अधिनियम 1984 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 1 (सपठित भूमि अर्जन राजस्थान संशोधन) अधिनियम 1987 का राजस्थान अधिनियम सं0 8 की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत 973 बीघा निजी खातेदारी भूमि वादी कम्पनी को खाद का कारखाना लगाने हेतु अधिसूचना जारी की गयी थी।
3. यह कि इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्यपाल की ओर से श्रीमान जिला कलेक्टर कोटा व महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र कोटा ने वादी कम्पनी के पक्ष में एक पट्टा विलेख दिनांक 9.01.1990 को आलेखित किया जाकर उप पंजीयक दीगोद के यहां पंजीयन किया गया। उक्त पट्टा विलेख में सेटलमेन्ट से पूर्व की अन्य भूमियों के अलावा साबिक खसरा नम्बर 98 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 100 रकबा 35 बीघा 9 बिस्वा भूमि भी दर्ज की गयी।
4. यह कि इसी दौरान तहसील दीगोद का सेटलमेन्ट विभाग द्वारा भूप्रबन्ध कार्य किया गया जिसमें खसरा नम्बर 98 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 100 रकबा 35 बीघा 9 बिस्वा भूमि के नये खसरा नम्बर 185 की 14.35 हेक्टर कायम किये गये, जबकि उक्त 50 बीघा 12 बिस्वा के लगभग 8.10 हेक्टर होते है। मिलान क्षेत्रफल पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि इसके पश्चात ग्राम गढेपान की निजी भूमि अधिग्रहण की समस्त कार्यवाही ने व मुआवजा भुगतान कर दिये जाने के पश्चात अन्य भूमियों के साथ हाल खसरा मिन 185 की 1.20 हेक्टर, खसरा नम्बर मिन 185 की 1.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 185 की 1.04 हेक्टर, खसरा नम्बर मिन 185 की 1.09 हेक्टर, खसरा नम्बर मिन 185 0.80 हेक्टर, व खसरा नम्बर मिन 185 की 0.96 हेक्टर भूमि कुल 6 किता की 6.29 क्टर भूमि का पट्टा विलेख वादी कम्पनी के नाम दिनांक 6.07.1994 को आलेखित कर पंजीयन किया गया।

6. यह कि इस प्रकार उक्त दोनों पट्टों से वादी कम्पनी को खसरा नम्बर 185 की कुल 8.10 हेक्टर व 6.29 हेक्टर, कुल 14.39 हेक्टर भूमि दी गयी।

7. यह कि वादी कम्पनी लीज पंजीयन होने से आज तक अन्य भूमियों सहित विवादित खसरा नम्बर 185 रकबा 14.39 हेक्टर की लीज राशि लगातार राजस्थान सरकार को जमा करता आ रहा है।

8. यह कि ग्राम गढेपान की खसरा नम्बर 185 की 14.35 हेक्टर भूमि वन विभाग के नाम दर्ज चली आ रही थी जो अन्य भूमियों के साथ उपवन महानिरीक्षक भारत सरकार वन मंत्रालय व वन्य जीव विभाग दिल्ली के पत्र दिनांक 18.11.1988 तथा जिला कलेक्टर कोटा के आदेश दिनांक 2.03.1989 से नामान्तरकरण संख्या 7 दिनांक 24.05.1989 से उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज कर दी गयी तथ्यश्चात नामान्तरकरण सं0 20 दिनांक 31.01.1991 से खसरा नम्बर 185 की 14.35 हेक्टर भूमि में से 5.07 हेक्टर भूमि वादी कम्पनी के नाम खाते में दर्ज कर दी गयी।

9. यह कि इसी प्रकार पट्टा विलेख दिनांक 6.07.1994 के अनुसार खसरा नम्बर मिन 185 की 1.20 हेक्टर, खसरा नम्बर मिन 185 की 1.20 हेक्टर , खसरा नम्बर मिन 185 की 1.04 हेक्टर , खसरा नम्बर मिन 185 की 1.09 हेक्टर, खसरा नम्बर मिन 185 की 0.80 हेक्टर व खसरा नम्बर मिन 185 की 0.96 हेक्टर भूमि, कुल 6 किता की 6.29 हेक्टर भूमि नामान्तरकरण सं0 57 दिनांक 30.05.1997 को वादी कम्पनी के खाते दर्ज कर दी गयी।

10. यह कि इसके पश्चात वादी कम्पनी द्वारा माननीय न्यायालय में एक वाद सं0 30/95 धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 का प्रतिवादी व अन्य खातेदारान के खिलाफ पेश किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.04.2007 से अंकित अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 185 मिन 3 की 0.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 185 मिन 2 की 0.80 हेक्टर भूमि को सिवाय चक दर्ज करते हुये वादी कम्पनी को खाते दर्ज कराने का अधिकारी माना गया। उक्त निर्णय की पालना में उक्त खसरा नम्बर 185 मिन 3 की 0.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 185 मिन 2 की 0.80 हेक्टर भूमि नामान्तरकरण सं. 260 दिनांक 3.06.2007 से सिवाय चक दर्ज कर दी गयी।

11. यह कि पेरा नं. 10 में उक्त नामान्तरकरण नं0 260 से खसरा नम्बर 185 की 1.39 हेक्टर भूमि तो वादी कम्पनी के खाते दर्ज कर दी गयी। इस प्रकार खसरा नम्बर 185 की 14.35 हेक्टर भूमि में से खसरा नम्बर 437/185 की 12.75 हेक्टर भूमि वादी कम्पनी के खाते में दर्ज कर दी गयी है, किन्तु खसरा नम्बर 185 मिन 3 की 0.80 हेक्टर, खसरा नम्बर मिन 2 की 0.80 हेक्टर भूमि (वर्तमान खसरा नं0 185 की 1.60 हेक्टर जो सिवाय चक दर्ज है) अभी तक भी वादी कम्पनी की खातेदारी में दर्ज नहीं की गयी जो आज भी उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज है। जिसको सिवाय चक खातें से हटा कर वादी कम्पनी के खाते दर्ज किया जाना आवश्यक है।

12. यह कि उक्त खसरा नम्बर 185 की 1.60 हेक्टर भूमि वादी कम्पनी की फेक्ट्री की बाउण्डरी व सीमा के अन्दर है जिस पर वाद कम्पनी का कब्जा चला आ रहा है। यहां यह

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

अनुचित नहीं होगा कि उक्त भूमि पर वादी कम्पनी का कब्जा होने व फेक्ट्री की ...री के अन्दर होने के कारण प्रतिवादी द्वारा वादी कम्पनी के खिलाफ धारा 91 ...एक्ट की कार्यवाही की जाती रही है, जिसमें वादी कम्पनी द्वारा जवाब पेश करने पर ...वादी द्वारा अगे कार्यवाही नहीं की गयी। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादी ...पनी की फेक्ट्री की सीमा के अन्दर है व वादी कम्पनी की भूमि है। जिसको वादी ...म्पनी अपने खाते दर्ज कराने की अधिकारिणी है।

13— यह कि वादी कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवादी को व उसके प्रतिनिधि को दिनांक 25.07.2022 को ग्राम गढेपान की वर्तमान खसरा नम्बर 185 की 1.60 हेक्टर भूमि को सिवाय चक खाते से हटा कर वादी कम्पनी के खाते दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया तो उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया।

14. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी कम्पनी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज का वाद प्रतिवादी के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह वाद पेश है।

15. यह कि वाद कारण प्रतिवादी द्वारा वादी कम्पनी के खातेदारी में खसरा नम्बर 185 की 1.60 हेक्टर भूमि दर्ज नहीं करने पर, उक्त भूमि पर वादी कम्पनी का कब्जा व फेक्ट्री के अन्दर होने पर धारा 91 ले0रे0एक्ट की कार्यवाही करने पर, बार बार वादी कम्पनी के नाम खातेदारी में दर्ज करने की कहन व अन्तिम मर्तबा दिनांक 25.07.2022 को प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि वादी कम्पनी की खातेदारी में दर्ज करने हेतु टालमटोल करने पर पैदा हुआ।

16. यह कि वादग्रस्त भूमि सिवाय चक दर्ज होने व उसकी लेण्ड होल्डर राजस्थान राज्य प्रतिवादी होने से उसे वाद में पक्षकार बनाया गया है।

17. यह कि माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है कारण कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र पेश कर प्रार्थना है कि वादी कम्पनी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः—

1— कि वाके ग्राम गढेपान तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 185 रकबा 1.60 हेक्टर भरूमि सिवाय चक खाते से हटायी जाकर वादी कम्पनी की खातेदारी में दर्ज किये जाने बाबत निर्णय व डिक्री पारित की जावे। व उक्त भूमि की वादी कम्पनी को खातेदार घोषित किया जावे।

2— कि प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

वादी कम्पनी जरिये विशाल माथुर की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गयेः—

1— पट्टा विलेख 9.01.1990 की प्रति
2— पट्टा विलेख 6.07.1994 की प्रति
3— नकल जमाबन्दी सम्वत 2076—2079 ग्राम गढेपान
4— नकल जमाबन्दी सम्वत 2076—2079 ग्राम गढेपान
5— नकल गजट नोटिफीकेशन 16.09.1989
6— नकल मिलान क्षेत्रफल 2043—2062 ग्राम गढेपान
7— नकल नामा0 नं0 7 ग्राम गढेपान
8— नकल नामा0नं0 57 ग्राम गढेपान
9— नकल नामा0नं0 260 ग्राम गढेपान

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। वादी की ओर से दिनांक 06.09.2022 को बिन्दु वार जवाब दावा पेश किया गया जो रेकर्ड पर फाईल किया गया।

प्रतिवादी की ओर से बिन्दुवार जवाब दावा निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया:-

1- वादी स्वयं सिद्ध करे।
2- वादी स्वंय दस्तावेजों साक्ष्य से सिद्ध करे।
3- स्वीकार है
4- स्वीकार है
5- वादी दस्तोजो साक्ष्य से स्वंय सिद्ध करे।
6- वादी स्वंय दस्तावेजों साक्ष्यों से सिद्ध करें।
7- वादी स्वंय दस्तावेजों साक्ष्यों से सिद्ध करें।
8- यह सही है कि नामा0 नं0 7 दिनांक 24.05.1989 से वन विभाग के खाते से 101.56 हेक्टर भूमि सिवाचक दर्ज की गयी है, उन भूमियों में खसरा नम्बर 185 की 14.35 हेक्टर भूमि भी रही है, यह स्वीकार है कि नामा0 नं0 20 से अन्य भूमियों के साथ खसरा नम्बर 185 की 14.35 हेक्टर भूमि मकें से 5.07 हेक्टर भूमि चम्बल फर्टिलाइजर लिमिटेड गढेपान कोटा को 99 वर्षीय लीज पर दी गयी है।
9- नामा0 सं0 57 से मि.नं. 185/1.20 , मि.नं.185/1.20, मि.नं. 185/1.04, मि.नं. 185/1.09, मि.नं. 185/0.80, मि.नं. 185/0.96, हेक्टर किता 6/6.29 हेक्टर का वादी को 99 वर्षीय लीज होल्डर दर्ज किया गया है।
10- माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद के निर्णय की पालना में नामा0 न0 260 दर्ज करते हुए निर्णित किया गया है जो सही दर्ज व निर्णित है, निर्णयानुसार पालना की गयी है।
11- बिन्दु संख्या 10 में अंकित भूमियों के संबंध में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के निर्णय की पालना जर्ये नामा0 260 की गयी है। निर्णयानुसार सही पालना की गयी है। निर्णय की पालना शेष नही है।
12- यह स्वीकार्य है कि खसरा नम्बर 185 की 160. हेक्टर भूमि सिवायचक दर्ज है जो वादी कम्पनी परिसर की सीमा में है अर्थात सिवायचक भूमि को वादी कम्पनी द्वारा घेरकर अपनी परिसर में मिलाया हुआ है। भूमि वादी के खाते की न होकर सिवायचक दर्ज है। वादी द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा रखने के कारण वादी को अतिचारी मानते हुए वादी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। मात्र अनाधिकृत रूप से कब्जे के आधार पर भूमि वादी के खाते दर्ज नहीं की जा सकती।
13- वादी इस प्रकार का कोई निवेदन तहसीलदार दीगोद को नही किया गया है।
14- कानूनी है।
15- सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत कब्जे की स्थिति में अतिचारी के विरूद्व कार्यवाही नियमानुकूल है। मात्र अनाधिकृत कब्जे के आधार पर भूमि अतिचारी के खाते दर्ज नहीं की जा सकती।
16- कानूनी है।
17- कानूनी है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

में विवादित आराजी को क्रम में कार्यालय के पत्रांक न्याय/2022/55 दिनांक 11.
022 से तहसीलदार दीगोद तीन बिन्दुओं पर तथ्यात्तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के क्रम
त्र जारी किया गया।

1- ग्राम गढेपान के खसरा नम्बर 185 के वर्तमान में कितने मिन नं0 बने है।

2- ग्राम गढेपान के खसरा नम्बर 185 की वर्तमान स्थिति क्या है एवं किसका कब्जा है।

3- ग्राम गढेपान के खसरा नम्बर 185 पर लीज थी एवं लीज राशि जमा है अथवा नहीं

उक्त बिन्दुओं के क्रम में तहसीलदार दीगोद की ओर से पत्र क्रमांक भू0अभि0/2022/4264 दिनांक 14.11.2022 से जवाब निम्न रूपेण प्रस्तुत किया गया:-

1- बन्दोबस्ती ख0नं0 185 के वर्तमान दो खसरा नम्बर, ख0नं0 185 रकबा 1.60 हेक्टर व खसरा नम्बर 437/185 रकबा 12.75 हेक्टर के रूप में दर्ज है। खसरा नम्बर 185/1.60 हे0 सिवायचक खाता सरकार दर्ज है, खसरा नम्बर 437/185 रकबा 12.75 हेक्टर चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लि0 गढेपान के 99 वर्षीय लीज पर खाते दर्ज है।

2- ग्राम गढेपान के खसरा नम्बर 185/1.60 हेक्टर व 437/185 रकबा 12.75 हेक्टर पर वर्तमान में चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लि0 गढेपान का ही कब्जा है।

3- बंदोबस्ती ख0नं0 185 रकबा 14.35 हेक्टर भूमि चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लि0 गढेपान को 99 वर्षीय लीज पर दी गयी है। चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लि0गढेपान द्वारा लीज राशि प्रतिवर्ष राजहक में जमा की जा रही है।

प्रकरण में तनकीयात कायम की गई।

तनकी नं. 1-आया विवादित आराजी में सेटलमेन्ट से पूर्व की अन्य भूमियों के अलावा साबिक खसरा नम्बर 98 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 100 रकबा 35 बीघा 9 बिस्वा भूमि भी दर्ज की गयी ? जिम्मे वादी

2- आया वादी कम्पनी लीज पंजीयन होने से आज तक अन्य भूमियों सहित विवादित खसरा नम्बर 185 रकबा 14.35 हेक्टर की लीज राशि लगातार राजस्थान सरकार को जमा करती आ रही है ? जिम्मे वादी

प्रकरण को तनकीयत कायम होने के उपरान्त साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य में वादी कम्पनी की ओर से अधिकृत विशाल माथुर आत्मज श्री डा0टी0पी0 माथुर (असि0 वाइस प्रेसिडेन्ट एचआर एण्ड एडमि0) की ओर से साक्ष्य में पी.डब्ल्यु. 1 पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। तथा वाद पत्र के साथ संलग्न फर्द दस्तावेज 1 लगायत 9 को प्रदर्श किया गया।

प्रकरण को बहस पर नियत किया गया। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी, बहस में योग्य वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए उल्लेख किया उनके कम्पनी के लिए भूमि अवाप्ति की गई है, जिसमें विधिक प्रक्रिया का अनुशरण करते हुए समस्त भूमि अधिग्रहण की जिसमें राजकीय विभागों की भूमि का मुआवजा राज्य सरकार में जमा करवा दिया एवं खातेदारों की भूमि का मुआवजा खातेदारों को दे दिया गया एवं समस्त भूमि का उन्हे विधिवत कब्जा प्राप्त हो गया तथा फेक्ट्री का निर्माण हो गया आपने स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि पर फेक्ट्री ने चार दीवारी बना ली। परन्तु कुछ राजकीय भूमि का अमल दरामद भू0अभिलेख नहीं होने से राजकीय खाते में दर्ज रह गई। जबकि राज्य सरकार को मुआवजा चुकाया जा चुका है किन्तु उसके बावजूद भूमि हमारे नाम खाते में दर्ज नहीं की गई। इस कारण वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। उक्त विवादित प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान पर इस न्यायालय से दिनांक 19.04.2007 को एक निर्णय पारित किया गया था, जिसमें स्पष्ट आदेश जारी किया था कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस रूप

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

कार किया जाता है कि व्यक्तिगत खातेदारी/गैरखातेदारी भूमि पर राजस्थान कारी अधिनियम की धारा 63(4) के अन्तर्गत खातेदारों/गैरखातेदारों के अधिकारों का ान हो चुका है। अतः भूमि वापिस राज्य में निहित हो गई है।

सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त आराजी लटूर व मथुरा के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी। दोपरान्त उक्त विवादित आराजी राज0सरकार के खाते दर्ज की गई थी। वादी कम्पनी द्वारा उक्त विवादित खसरा नम्बर का मुआवजा राशि का भुगतान भी सम्बन्धित को किया जा चुका है। प्रतिवादी तहसीलदार ने दिनांक 6.09.2022 को जारी जवाब सरकार के बिन्दु नं0 9 में स्पष्ट किया है कि नामा0 सं0 57 से मि.नं. 185/1.20 , मि.नं.185/1.20, मि.नं. 185/1.04, मि.नं. 185/1.09, मि.नं. 185/0.80, मि.नं. 185/0.96, हेक्टर किता 6/6.29 हेक्टर का वादी को 99 वर्षीय लीज होल्डर दर्ज किया गया है। तथा दिनांक 14.11.2022 को प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी बिन्दु सं0 3 में स्पष्ट किया है कि बंदोबस्ती खसरा नम्बर 185 रकबा 14.35 हेक्टर भूमि चम्बल फर्टिलाईजर एण्ड केमिकल लि0 गढेपान को 99 वर्षीय लीज पर दी गयी है। तथा वादी कम्पनी चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लि0गढेपान द्वारा लीज राशि प्रतिवर्ष राजहक में जमा की जा रही है।

योग्य वकील वादी ने यह भी निवेदन किया कि वादी कम्पनी के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की गई थी जिसके लिए वादी कम्पनी ने समय समय पर वांछित मुआवजा राशि राजकोष में जमा करा दी थी जिसका भुगतान समय पर खातेदारों या प्रभावित व्यक्तियों को किया जा चुका है। जिसके बाद सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों ने भूमि पर वास्तविक कब्जा वर्ष 1989 में वादी कम्पनी को दे दिया तथा भूमि पर वास्तविक दखल दे दिया ओर उसी वक्त वादी कम्पनी ने समस्त भूमियों पर पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करा दिया। अन्य भूमियां राजस्व रिकार्ड में वादी कम्पनी के नाम दर्ज हो चुकी थी किन्तु इसी अवधि में कब्जा देने के बाद राजस्व विभाग ने कुछ भूमियां सहवन से सिवायचक दर्ज कर दी, जिसे वादी कम्पनी गलती को सुधरवाने की अधिकारिणी है।

पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहन अध्ययन एवं वादी अधिवक्ता की बहस का गहन मनन अवलोकन किया गया। प्रकरण में गुणावगुण पर विचार किया गया। वादी कम्पनी द्वारा विवादित खसरा नम्बरान की भूमि के अर्जन की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की गई है एवं अर्जन की गयी भूमि का मुआवजा भी कम्पनी द्वारा संबंधित को किया जाना स्पष्ट हो रहा है। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि बंदोबस्ती ख0नं0 185 रकबा 14.35 हेक्टर भूमि चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लि0 गढेपान को 99 वर्षीय लीज पर दी गयी है। चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लि0गढेपान द्वारा लीज राशि प्रतिवर्ष राजहक में जमा की जा रही है। इस प्रकार विवादित भूमि का स्वामित्व वादी कम्पनी का होना स्पष्ट है। अतः वादी कम्पनी को ख0 न0 185 रकबा 1.60 हे0 भूमि का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी कम्पनी चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लिमिटेड गढेपान को ग्राम गढेपान के खसरा नम्बर 185 रकबा 1.60 हेक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2023 को सरे इजलास में न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद